बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/परिवाद (अररिया) 12–18/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

श्री प्रियवर्त कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया के विरूद्ध प्राप्त कतिपय परिवाद पत्रों में श्री कुमार के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करने, सरकारी काम (दाखिल खारिज की स्वीकृति/अस्वीकृति) के एवज में स्वंय के एवं अपने परिचित श्री अनुनय कुमार के SBI बैंक के बचत खाते में अवैध रूप से पक्ष अथवा विपक्ष से राशि प्राप्त करने जैसे शिकायत प्रतिवेदित है।

2. परिवादी ने अपने आवेदन में 2,75,000/– (दो लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की राशि अंचल अधिकारी, श्री कुमार के एवं 2,00,000/– (दो लाख) रूपये मात्र की राशि श्री अनुनय कुमार के खाते में जमा किये जाने संबंधी साक्ष्य संलग्न किये हैं। उक्त के संदर्भ में समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक–801/रा० दिनांक–24.03.2025 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागीय पत्रांक–437 (15) दिनांक–19.03.2025 के आलोक में जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदनानुसार बैंक जमा पर्ची के संबंध में अंचलाधिकारी श्री कुमार द्वारा उक्त राशि को Self deposit बताया गया है। जबकि विभागीय पोर्टल पर श्री कुमार द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2024–25 की संपत्ति विवरणी में उनके द्वारा कोई ऐसी संपत्ति नहीं घोषित की गई है जिससे उन्हें नगद राशि की प्राप्ति हो सके। इससे उनका उक्त राशि Self deposit बताना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

3. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–491 (15) दिनांक–26.03.2025 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रियवर्त कुमार, अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

4. आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध समाहर्ता, अररिया के पत्रांक–801 दिनांक–24.03.2025 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–673 (15) दिनांक–30.04.2025 द्वारा श्री कुमार से गठित आरोपों के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(4) के तहत लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–07.05.2025 से विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू० जे०सी० सं०–11082/2025 में पारित आदेश दिनांक–24.07.2025 के आलोक में निलम्बन मुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1786(15) दिनांक–26.09.2025 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अपर समाहर्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. उक्त के आलोक में अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–330/रा० दिनांक–21.01.2026 द्वारा श्री प्रियवर्त कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, गोपालगंज के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा आरोपों की प्रकृति गंभीर एवं तीनों आरोप प्रमाणित बताया गया।

7. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध **"संचयी प्रभाव के साथ दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रियवर्त कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, गोपालगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** आदेश निर्गत की तिथि से अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/परिवाद (अररिया) 12–18/2025**–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.............

निबंधित/ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, अररिया एवं गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, अररिया एवं गोपालगंज/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री प्रियवर्त कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया सम्प्रति **राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, गोपालगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/परिवाद (अररिया) 12–18/2025**–598(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–22/04/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदधिकारी प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

21/4/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2026\Dand order sankalp\priyawrat kr CO raniganj.doc